भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 617
22.07.2026 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड के कार्यों में पक्षपात

617. श्री सुखजिंदर सिंह रंधावाः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को ऐसे मामलों की जानकारी है जिनमें विपक्षी दल के संसद सदस्यों के संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) कार्यों में देरी की जाती है और उनके कार्यों को समय पर मंजूरी नहीं दी जाती है;

(ख) क्या सरकार का ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) पंजाब के गुरदासपुर जिले में ऐसे कार्यों की संख्या कितनी है जो सिफारिशों के महीनों बाद भी शुरू या पूरे नहीं किए जा सके या जिनकी बार-बार सिफारिश की जा रही है;

(ङ) क्या सरकार उस मामले का संज्ञान ले सकती है जिसमें बीडीपीओ डेरा बाबा नानक ने स्वयं दिशा समिति में पूरे प्रशासन के सामने कहा था कि वह एमपीलैड निधि से कार्य नहीं कराएंगी, भले ही आप अदालत चले जाएं और उन पर स्थानीय विधायक का दबाव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग) एमपीलैड योजना के अंतर्गत, माननीय संसद सदस्य अपने विकास कार्यों की संस्तुति सीधे ईसाक्षी पोर्टल के माध्यम से जिला प्राधिकरणों को भेजते हैं और इन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी नियमों तथा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसरण में जिला प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत एवं कार्यान्वित किया जाता है।

एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण को किसी भी कार्य को स्वीकृत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सक्षम प्राधिकरणों से सभी अपेक्षित सांविधिक और नियामक मंजूरी प्राप्त कर ली गई हैं, कि कार्य एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुरूप है, और कि संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसी से एक लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त की गई है, जिसमें उसने प्रस्तावित परिसंपत्ति के संचालन और रखरखाव की लागत अपने संसाधनों से वहन करने की अपनी सहमति दी है।

एम्पीलैड्स दिशानिर्देश 2023 के पैरा 4.3.4 के अनुसार, किसी भी संबंधित व्यक्ति/प्राधिकारी द्वारा एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक/दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के वास्तविक उल्लंघन और जानबूझकर गैर-अनुपालन के ऐसे सभी मामलों में दोषी/अपराधी अधिकारियों/ कार्यान्वयन एजेंसियों/ विक्रेताओं आदि के लिए उत्तरदायित्व तय करेगी तथा आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी।

तथापि, यह पाया गया है कि एमपीलैड योजना के अंतर्गत अनुशंसित कार्यों के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृतियों के जारी करने में विलंब आमतौर पर अधूरे प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण, स्थानीय विवादों, भूमि उपलब्धता या स्थल व्यवहार्यता से संबंधित प्रतिबंधों, सांविधिक मंजूरी की आवश्यकताओं, तथा जिला स्तर पर तकनीकी समस्याओं जैसे कारकों के कारण होती है। एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यों की समय पर जांच, स्वीकृति और निष्पादन की जिम्मेदारी जिला प्राधिकरणों पर है।

जब भी अत्यधिक विलंब के मामले मंत्रालय के संज्ञान में लाए जाते हैं, तो संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार और जिला प्राधिकरण से अनुरोध किया जाता है कि वे मामले की जांच करें तथा लागू सेवा नियमों के तहत जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई करें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वे माननीय संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक निगरानी और निरीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करें।

(घ) से (ङ): एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के पैरा 3.2.4 के अनुसार, संसद सदस्य द्वारा की गई सभी संस्तुति के संबंध में स्वीकृति/अस्वीकृति, संस्तुति प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा जारी की जाएगी।

एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के पैरा 3.2.6 के अनुसार, किसी विशेष कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार पर लागू होने वाले चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित आदर्श आचार संहिता के संचालन की अवधि को, एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के पैरा 3.2.4 में उल्लिखित समय सीमा की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 के पैरा 3.2.12 के अनुसार, कार्यान्वयन जिला प्राधिकरण द्वारा जारी स्वीकृति पत्र में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी, जो सामान्यतः एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। असाधारण मामलों में, उदाहरण के लिए कठिन/पहाड़ी इलाकों आदि में, जहाँ कार्यान्वयन की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की संभावना हो, उसके लिए विशिष्ट औचित्य स्वीकृति पत्र में शामिल किया जाएगा।

दिनांक 20.07.2026 तक ईसाक्षी पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, 18वीं लोकसभा कार्यकाल के दौरान गुरदासपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एमपीलैड्स के अंतर्गत अनुशंसित 304 कार्यों में से 4 कार्य अनुशंसा के 45 दिनों बाद भी स्वीकृत नहीं हुए। इसके अतिरिक्त, 268 स्वीकृत कार्यों में से 57 कार्य स्वीकृति के एक वर्ष के के बाद भी पूरे नहीं हुए हैं।

जिला प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार, उप-आयुक्त, गुरदासपुर ने तत्कालीन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ), डेरा बाबा नानक को दिनांक 15.06.2026 के पत्र संख्या 327 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिला प्राधिकरण ने आगे यह भी रिपोर्ट किया है कि कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, गुरदासपुर को दिनांक 17.02.2026 को आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (डीआईएसएचए) की बैठक की कार्यवाही के संदर्भ में दिनांक 07.07.2026 को पत्र संख्या 4412 जारी किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य नोडल प्राधिकरण, पंजाब ने सूचित किया है कि एमपीलैड्स के अंतर्गत माननीय संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित सभी लंबित विकास कार्यों के समय से निष्पादन एवं पूर्णता के लिए योजना के मौजूदा प्रावधानों के अनुसरण में समीक्षा की जा रही है।
